उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-03/2024/17(।।।)/दो-2-2024/28/(2)/2024
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी,2024

आदेश

श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-**जी.ए.यू.-76318** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0,से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-212/39130,दिनांक 08.09.2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 तक कुल जमा धनराशि रू0-36,28,174/-(रू0-छत्तीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) जिस पर माह 3/2023 तक ब्याज सम्मिलित है, का सत्यापन किया गया है तथा यह भी अपेक्षा की गयी है कि वर्ष-2023-24 का आहरण **रू0 25,00,000/-(रू0 पच्चीस लाख मात्र) घटाकर** अभिदाता के जी0पी0एफ0 खाते से 90 प्रतिशत धनराशि की भुगतान की जाय।

3- अत: कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0, से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते से 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान के संबंध में निर्गत किये गये प्राधिकार पत्र में कुल उल्लिखित धनराशि **रू0-36,28,174/-(रू0-छत्तीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र)** में से, श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा वर्ष-2023-24 में आहरित की गयी धनराशि **रू0 25,00,000/- को घटाते** हुए एवं अभिदाता द्वारा वर्ष-2023-24 में अभिदान की गयी धनराशि रू0 **98,525/-** एवं उपरोक्त पर मिलने वाली ब्याज की धनराशि रू0 **1,00,831/-** को जोड़ते हुए उनके जी0पी0एफ0 खाते में कुल उल्लिखित धनराशि रू0 13,27,533/-(रू0 तेरह लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ तैंतीस मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0 11,94,780/-(रू0 ग्यारह लाख चौरानवे हजार सात सौ अस्सी मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री अवधेश कुमार मिश्र,से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम-निधि-18, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

2- **जिलाधिकारी, बहराइच** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपाया श्री अवधेश कुमार मिश्र,तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी, बहराइच सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार,बहराइच ।(रजिस्टर्ड)**

4- श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता-**ग्राम व पोस्ट-कन्नावां, जनपद-रायबरेली, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 03/2024/17/दो-2-2024-28/2(2)/2024

प्रेषक,

मदन सिंह गर्ब्याल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2024**

विषय:- श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी.सी.एस.**(जी.पी.एफ.नं0-जीएयू-76318)** के पेंशन,राशिकरण,उपादान भुगतान के संबंध में।

महोदय,

श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी.सी.एस, मुख्य राजस्व अधिकारी,बहराइच, जो अपनी अधिवर्षिता आयु के उपरान्त दिनांक **31.01.2024** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं/हो रहे हैं, का पेंशन, राशिकरण, उपादान भुगतान का प्रस्ताव पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है तथा श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी.सी.एस के संबंध में अपेक्षित अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया श्री अवधेश कुमार मिश्र का पेंशन, राशिकरण, उपादान का प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए, उसकी सूचना से शासन को एवं अभिदाता को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:-श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता-**ग्राम व पोस्ट-कन्नावां, जनपद-रायबरेली,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या- 03 /2024/17(1)/दो-2-2024-28/2(2)/2024
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2024

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी.सी.एस, मुख्य राजस्व अधिकारी,बहराइच, जो अपनी अधिवर्षिता आयु के उपरान्त दिनांक **31.01.2024** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियॉ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता-**ग्राम व पोस्ट-कन्नावां, जनपद-रायबरेली,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-03/2024/7(।।)/दो-2-2024-28/2(2)/2024
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी.सी.एस, मुख्य राजस्व अधिकारी,बहराइच, जो अपनी अधिवर्षिता आयु के उपरान्त दिनांक **31.01.2024** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।

2- श्री अवधेश कुमार मिश्र,पी0सी0एस0,से0नि0,**पता-**ग्राम व पोस्ट-कन्नावां, जनपद-रायबरेली,उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।